

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 204/18

रामरूप पुत्र रामहेत आयु 31 वर्ष निवासी ग्राम
नागौर थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

—अनावेदक

15-06-2018

आवेदक/अभियुक्त रामरूप की ओर से श्री आर0एस0 तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आपत्तिकर्ता की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने आपत्ति पेश की, जिसकी नकल आवेदक अधिवक्ता को प्रदान की गई।

पुलिस थाना एण्डोरी से अपराध क्रमांक 63/18 अंतर्गत धारा 306, 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदक का नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में दर्शनलाल माहोर पुत्र हरीलाल माहोर आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, जो कि आवेदक का नातेदार है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एस0 तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा असत्य घटना में आवेदक के विरुद्ध अप0क्र0 63/18 धारा 306, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 03.06.18 को गिरफ्तार कर लिया है, तब से वह निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है। यदि अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

आपत्तिकर्ता/अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध इन आधारों पर किया गया है कि मृतक द्वारा अभियुक्तगण से अपने ही

दूध के पैसे मांग लिये जाने की बात पर से अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठियों से उसकी मारपीट कर उसे कई चोटें पहुंचाते हुये बुरी तरह से बेइज्जत किये जाने के कारण मृतक संतोख सिंह द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिये जाने के कारण अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अति गंभीर स्वरूप का है एवं सहअभियुक्तगण अभी भी फरार हैं और उनके द्वारा राजीनामा करने के लिये मृतक के परिवारजन पर दबाव डालते हुये उन्हें धमकाया जा रहा है। अतः इन्हीं आधारों पर जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 30.05.18 को सुबह 9 बजे फरियादी हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी उसे दिल्ली में मोबाईल से सूचना उत्तम सिंह व कुलवंत सिंह ने दी थी तो वह दिल्ली से घर आया जहाँ पर मृतक भाई संतोख की लाश रखी हुई थी। उक्त संबंध में फरियादी हरदेव सिंह द्वारा पुलिस को रिपोर्ट किये जाने पर दर्ज मर्ग क्रमांक 06/18 धारा 174 सीआरपीसी की जांच के दौरान फरियादी हरदेव सिंह व मृतक की पत्नी मंजीत कौर के कथन लिये जाने पर उन्होंने बताया कि दिनांक 29.05.18 की शाम को मृतक संतोख सिंह द्वारा दूध के पैसे मांगने के कारण मुंहबाद हो जाने के पश्चात रात में जब मृतक संतोख सिंह अपने खेत पर जा रहा था तो रोड़ पर ग्राम नागौर के अभियुक्तगण प्रेमनारायण, रूपा उर्फ रामरूप, रामहेतु द्वारा डण्डो से उसकी मारपीट किये जाने के कारण वह बेइज्जत होकर इतना दुखी हो गया कि वह समाज में मुंह दिखाने एवं जीने लायक नहीं रह गया और इसी बेइज्जती से दुखी होकर संतोख सिंह ने दिनांक 30.05.18 को फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में आवेदक सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध आरक्षी केंद्र एण्डोरी में अपराध क्रमांक 63/18 पर धारा 306, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक को गिरफ्तार किया गया है।

इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुये वर्तमान प्रक्रम तक अनुसंधानकर्ता एजेंसी द्वारा जो साक्ष्य संकलित की गई है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मामले में संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता होना पाये जाने से उसके विरुद्ध अप0क्र0 63/18 पर धारा 306 व 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मामले में मृतक द्वारा अभियुक्तगण से अपने ही दूध के पैसे मांग लिये जाने की बात पर से अभियुक्तगण द्वारा एक साथ लाठियों से उसकी मारपीट कर कई चोटें पहुंचाते हुये बुरी तरह से बेइज्जत किये जाने के कारण मृतक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया जाना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है एवं आपत्तिकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत छायाचित्र में भी मृतक के शरीर पर चोटें कारित होना दर्शित हैं तथा सहअभियुक्तगण मामले में अभी भी फरार हैं और अनुसंधान अपूर्ण होकर प्रगति पर है।

अतः अपराध की गम्भीरता सहित मामले की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस जायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)